222

संख्या–———/XIX-1/162/2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–1 दिनॉकः देहरादून 18 दिसम्बर 2013

विषयः– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत, नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र की उचित दर दुकानों के आवटंन तथा चयन समितियों के गठन सम्बन्धी प्राविधानों के संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र की उचित दर दुकानों के आवटंन तथा चयन समितियों के गठन सम्बन्धी प्राविधानों के संशोधन विषयक शासनादेश सं0–652/XIX-1/162/2004, दिनांक–03.06.2010 एवं शासनादेश सं0–428, दिनांक–11.07.2011 में, उल्लिखित कतिपय प्राविधानों में, आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, उक्त शासनादेश में निम्न प्रकार से संशोधन किये जाते है।

बिन्दु सं0	पूर्व व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
1.	ग्राम सभा में एक ही दुकान खोली जाये।	ग्राम सभा में, यथासम्भव एक ही दुकान खोली जाये किन्तु यदि सम्बन्धित ग्राम सभा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु, अतिरिक्त दुकान की आवश्यकता महसूस होती हो तो जिलाधिकारी गुणावगुण के आधार पर निर्णय ले सकते हैं।

2.	4000 यूनिट से कम यूनिट होने पर दूसरी दुकान किसी भी दशा में न खोली जाये।	4000 यूनिट से कम होने पर नयी राशन की दुकान खोले जाने की बाध्यता इस सीमा तक शिथिल की जाती है कि, ऐसा किया जाना उपभोक्ताओं के हित में अनिवार्य हो गया है।
3(III)	भारतीय सेना से सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में घायल विकलांग सैनिकों एवं शारीरिक अक्षमता वाले भूतपूर्व सैनिकों के परिजनों को वरीयता दी जाये।	भारतीय सेना से सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में घायल विकलांग सैनिकों एवं शारीरिक अक्षमता वाले भूतपूर्व सैनिकों के परिजनों के साथ–साथ अन्य विकलांगों को भी वरीयता दी जाये।
7.	उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खुलने एवं बन्द होने का समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक तथा अपराह्न 3 बजे से 7 बजे तक निश्चित किया जाता है। शहरी क्षेत्र में, बन्द का दिन श्रम मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तथा ग्रामीण क्षेत्र में, रविवार का दिन निर्धारित किया	उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुये, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खुलने एवं बन्द होने का समय प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक तथा अपराह्न 3 बजे से 7 बजे तक निर्धारित किया जाता है। शहरी क्षेत्र में, बन्दी का दिन श्रम मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तथा ग्रामीण क्षेत्र में, रविवार का दिन निर्धारित किया जाता है।

	जाता है।	
9.	यदि किसी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता को तीन बार आर्थिक दण्ड दिया जाता है तो चौथी बार अनियमितता पाये जाने पर, उसकी दुकान निरस्त कर दी जाये। दुकान निरस्त किये जाने के उपरान्त भविष्य में उस विक्रेता को पुनः सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का आवटंन न किया जाये।	यदि किसी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता को तीन बार निलंबित किया जाता है तो चौथी बार अनियमितता पाये जाने पर उसकी दुकान निरस्त कर दी जाये। दुकान निरस्त किये जाने के उपरान्त भविष्य में उस विक्रेता को पुनः सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का आवटंन न किया जाये। यहां स्पष्ट किया जाता है कि, यदि किसी राशन विक्रेता द्वारा कालाबाजारी अथवा गंभीर अनियमितता बरती जाती है तो ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी प्रथम निलंबन के उपरान्त राशन की दुकान निरस्त कर सकते है।

2– इस सम्बन्ध में, उपरोक्त शासनादेश दिनांक–03.06.2010 एवं 11.07.2011 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेगें एवं अन्य शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–2000(1)/XIX-1/162/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–प्रमुख निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

2–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3–निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

4–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5–मंडलायुक्त गढ़वाल/कुमांऊ, पौड़ी/नैनीताल

6–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

7–सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल/कुमांऊ सम्भाग, देहरादून/हल्द्वानी।

8–निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

9–समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि, शासनादेश की प्रतिया जिले के समस्त उप जिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10–समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

11–प्रभारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय।

12–प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय।

13–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव।